IV 19



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 160856

राम सुमेरी ललिता ट्रस्ट

मुहल्ला–कोयलाघाट, ददरीघाट (शहर),
तहसील व जिला–गाजीपुर।

न्यास विलेख :–

यह न्यास विलेख आज दिनांक 26–06–2009 दिन शुक्रवार को जनपद–गाजीपुर में किया गया, जिसमें निम्नलिखित न्यासकर्ता हैं :–

1. श्री नन्दकुमार सिंह (एडवोकेट) पुत्र स्व0 गोरख नाथ सिंह, सकलेनाबाद, गाजीपुर।
2. डा0 बृजभानु सिंह बघेल पुत्र स्व0 रामानन्द सिंह, कोयलाघाट, ददरीघाट, गाजीपुर।
3. ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री रामानन्द सिंह, मड़ही, खजूर गाँव, गाजीपुर।
4. चन्द्रभानु सिंह पुत्र श्री हरिहर सिंह बड़ा महादेवा, गोराबाजार, गाजीपुर।
5. जयप्रकाश सिंह पुत्र श्री हरिहर सिंह, मड़ही, खजूर गाँव, गाजीपुर।
6. बृजबहादुर सिंह पुत्र डॉ0 बृजभानु सिंह बघेल, कोयलाघाट, ददरीघाट, गाजीपुर।
7. बृजेश बहादुर सिंह पुत्र डॉ0 बृजभानु सिंह बघेल, कोयलाघाट, ददरीघाट, गाजीपुर।
8. कुँवर रूपेश कुमार पुत्र श्री नन्द कुमार सिंह, सकलेनाबाद, गाजीपुर।
9. श्रीमती रमावती देवी पत्नी डॉ0 बृजभानु सिंह बघेल, कोयलाघाट, ददरीघाट, गाजीपुर।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापकगण कहा जायेगा, क्योंकि न्यासकर्तागण/न्यास संस्थापकगण के पास 11,000/– की धनराशि है, जिसे यह लोग पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छाव्यक्त करते हैं। न्यासकर्तागण/संस्थापकगण उक्त धनराशि

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

स्टाम्प विक्रय तिथि कीमत क्रम सं. 9413

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

.....

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
...bad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 160857

का न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। यह न्यास रामसुमेरी ललिता ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा/जिसे संक्षिप्त में आर0एस0एल0 ट्रस्ट कहा जायेगा। ट्रस्ट का न्यासकर्तागण/मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे। न्यासकर्तागण की यह भी इच्छा है कि विभिन्न स्रोतों से दान, उपहार, ऋण अनुदान, निधि प्राप्त कर ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाया जायेगा, जिससे ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके। न्यासकर्ताओं द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार सब मिलकर 11 हजार की नगद धनराशि ट्रस्ट को प्रदान की गयी है। वर्तमान में इस ट्रस्ट का कार्यालय कोयलाघाट, ददरीघाट शहर, तहसील व जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) रहेगा। भविष्य में अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय–समय पर कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। न्यासकर्तागण द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित की जा रही है।

न्यास का नाम :– राम सुमेरी ललिता ट्रस्ट।

(यह ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट होगा)

मुख्यालय :– कोयलाघाट, ददरीघाट (शहर), तहसील व जिला–गाजीपुर।

न्यास का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण भारतवर्ष

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

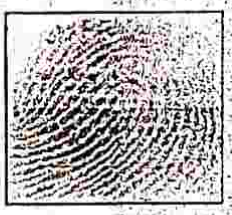
क्रमशः 3

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

यास पत्र

11,000.00	220.00	20	240.00	1,000
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती डा. बृजभानु सिंह बघेल
पुत्र / पत्नी श्री रामानन्द सिंह
पेशा शिक्षक
निवासी स्थायी कोयलाघाट शहर गाजीपुर
अस्थायी पता 0
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 26/6/2009 समय 4:41PM
बजे निवन्धन हेतु पेश किया।



एस.के.सिंह
उप निबन्धक सदर
गाजीपुर
26/6/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी
श्री/श्रीमती डा. बृजभानु सिंह बघेल
पुत्र/पत्नी श्री रामानन्द सिंह
पेशा शिक्षक
निवासी कोयलाघाट शहर गाजीपुर



ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अनिल कुमार सिंह
पुत्र श्री कैलास सिंह
पेशा शिक्षक
निवासी विवेकानन्द कालोनी शहर गाजीपुर
व श्री शशिकान्त उपाध्याय
पुत्र श्री केशव उपाध्याय
पेशा कृषि
निवासी वहिरार परगना जहूराबाद जिला गाजीपुर
ने की ।





Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे लिया गया लिये गये हैं।

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

एस.के.सिंह
उप निबन्धक सदर
गाजीपुर
26/6/2009

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 160858

ट्रस्ट के उद्देश्य :–

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा :–

1. यह बिना जाति, धर्म लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाईस्कूल इण्टर कालेज महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं, विकलांग विद्यालयों, आश्रम पद्धति (आवासीय) के विद्यालयों कम्प्यूटर शिक्षण संस्थान कोचिंग संस्थाओं कान्वेन्ट विद्यालयों, बाल श्रमिक विद्यालयों संस्कृत, संगीत, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी शिक्षा के विकास हेतु संस्थाओं का निर्माण करना तथा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को संचालित करना और बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, औद्योगिक, प्रौद्योगिक, प्राविधिक विद्यालयों महाविद्यालयों तथा प्राइमरी स्तर से उच्चस्तर तक बालिका विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना, नामकरण करना, विकास, सम्बद्ध, आवद्ध, प्रबन्धन, संचालन आदि एवं आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों, प्रतिष्ठानों संस्थाओं को प्रदेश शासन व केन्द्रीय शासन स्तर से उन्हें मान्यता सम्बद्धता, आबद्धता, पंजीकृत, अनुमोदित एवं स्वीकृत कराना आदि।
2. पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीड़ास्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतनों बालसंरक्षण गृहों आदि की स्थापना एवं संचालन करना एवं ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा संचालित गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं को स्थापित करना एवं कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना तथा कृषि

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

न्यासी

Registration No 19 Year : 2009 Book No. 4

0101 डा. बृजभानु सिंह बघेल

रामानन्द सिंह

कोयलाघाट शहर गाजीपुर

शिक्षक



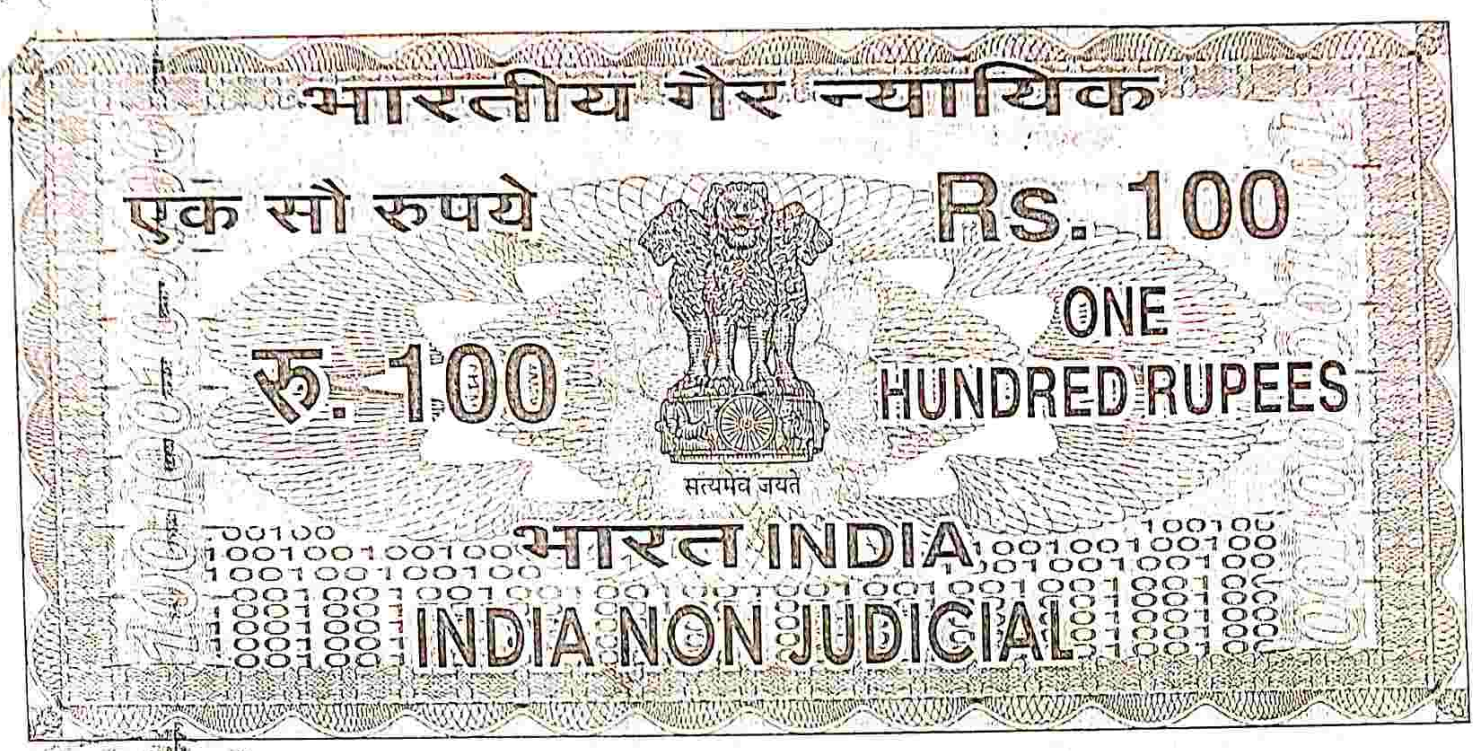




Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 160859

3. विज्ञान केन्द्र कृषि प्रशिक्षण, कृषि बीज उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि के विकास के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना एवं संचालन करना उद्यानीकरण एवं जंगल का विकास करना।

4. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विधिक कार्यक्रम संचालित करना। प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग संस्थाओं की स्थापना करना तथा चित्रकला व संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा उसके विकास हेतु संस्थानों की स्थापना करना।

5. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, विकास मंत्रालय, समाज कल्याण, नावार्ड, डूडा, नोराडा, डवाकारा, सिप्सा, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूल, युवा कल्याण मंत्रालय, आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

6. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्सट्रेनिंग कालेज, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथीरैपी, मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

7. समाज के लिए हास्पिटल, नर्सिंगहोम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, पेट्रोल स्टेट, टाइपिंग कम्पनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना एवं संचालन करना।

8. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

Mangger
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

क्रमशः 5

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 160860

9. अंधे, गूंगे, बहरे असहाय विकलांग लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन एवं वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करना।
10. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला वाणिज्यक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर आदि प्रोफेशनल विषयों का स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालयों को खोलना एवं उनका संचालन करना।
11. भारत सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा जिला तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास में चलाये जा रहे विशेष कार्यक्रमों को संचालित करना।
12. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, प्रिंटिंग आदि शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उनका संचालन करना तथा निर्धन छात्र/छात्राओं का आर्थिक सहयोग करना।
13. व्यक्ति विशेष अथवा अन्य सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों आदि संस्थाओं को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजन करना और इस ट्रस्ट द्वारा संचालित करना।
14. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करना अथवा प्रदान करना।
15. मेडिकल कालेजों की स्थापना करना तथा औषधियों का उत्पादन, वितरण मूल्य निर्धारण एवं उसका प्रचार–प्रसार करना।
16. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रचार–प्रसार करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना एवं सेमिनार आदि सम्पन्न कराना।

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

क्रमशः 6

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 793025

17. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।
18. पुस्तक, पुस्तिकाएं, साहित्य, पाठ्यक्रमों, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, बिक्री करना।
19. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
20. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा तत्विधिक आवश्यक व्यवस्थाएं करना।
21. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर भूमि सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।
22. धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करना।
23. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा क्रियान्वयन करना, विभिन्न आयोजनों एवं कार्यों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।
24. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना।
25. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं से दान, चन्दा, अनुदान निधि प्राप्त करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

क्रमशः 7

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



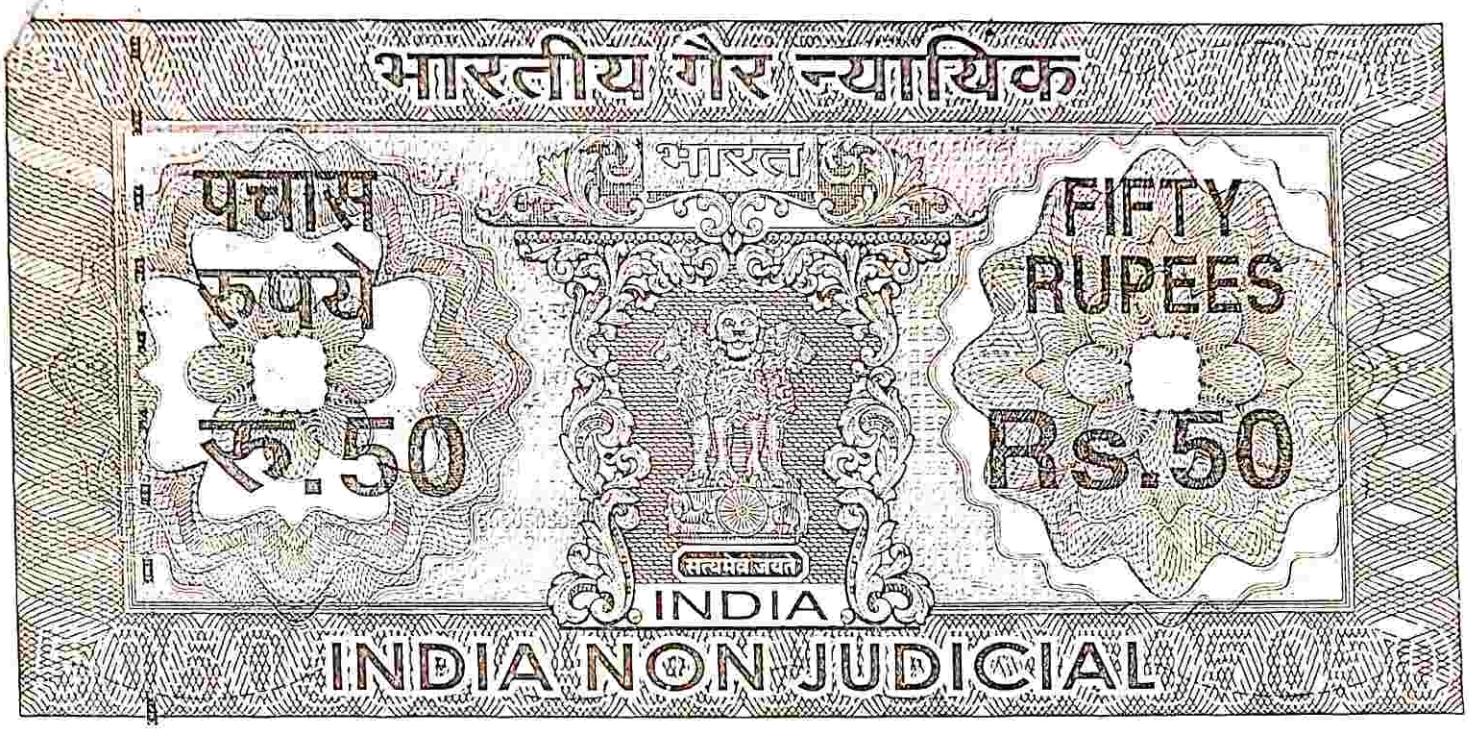
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 793026

26. ट्रस्ट जन सामान्य के लिए कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण मछली पालन, पशुपालन आदि कार्य सम्पन्न करना एवं प्रचार–प्रसार करना।
27. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
28. दैवीय आपदा जैसे सूखा, बाढ़, भूकम्प आदि से बचाव के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं जागरूकता कार्यक्रम करना।
29. निर्धन छात्र/छात्राओं के शिक्षण हेतु आर्थिक सहायता देना और निर्धन असहाय छात्राओं एवं लड़कियों के विवाह आदि कार्य में आर्थिक सहयोग देकर सम्पन्न कराना एवं गरीब निर्धन लोगों के बीमारी आदि में दवा कराने हेतु आर्थिक सहयोग करना।
30. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
31. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना तथा नवीन बीजों की जानकारी देना एवं फल एवं औषधि खेती के जानकारी देना एवं कृषि बीजों का उत्पादन करना तथा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करना एवं बीजों उत्पादन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य सम्पादित करना एवं कृषि विज्ञान केन्द्र आदि की स्थापना करना।

क्रमशः 8

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 793027

न्यासमण्डल के सदस्यों की योग्यता :– न्यास मण्डल का वही व्यक्ति सदस्य हो सकता है, जो किसी न्यायालय से हत्या, लूट, बलात्कार आदि मामलों में दण्डित न हो और दिवालिया, पागल, कुष्ठरोगी आदि घोषित न हो तथा भारत का नागरिक हो।

न्यास मण्डल :– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों का न्यास मण्डल की स्थापना की जा रही है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति न्यासी होंगे :–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	पद
1.	श्री नन्दकुमार सिंह (एडवोकेट)	स्व0 गोरख नाथ सिंह	सकलेनाबाद, गाजीपुर	अध्यक्ष
2.	डा0 बृजभानु सिंह बघेल	स्व0 रामानन्द सिंह	कोयलाघाट, ददरीघाट, गाजीपुर।	प्रबन्धक
3.	ओमप्रकाश सिंह	श्री रामानन्द सिंह	मड़ही, खजूर गाँव, गाजीपुर।	कोषाध्यक्ष
4.	चन्द्रभानु सिंह	श्री हरिहर सिंह	बड़ा महादेवा, गौंराबाजार, गा0.	सदस्य
5.	जयप्रकाश सिंह	श्री हरिहर सिंह	मड़ही, खजूर गाँव, गाजीपुर।	सदस्य
6.	बजबहादुर सिंह	डॉ0 बृजभानु सिंह बघेल	कोयलाघाट, ददरीघाट, गाजीपुर।	सदस्य
7.	बृजेश बहादुर सिंह	डॉ0 बृजभानु सिंह बघेल	कोयलाघाट, ददरीघाट, गाजीपुर।	सदस्य
8.	कुवर रूपेश कुमार	श्री नन्द कुमार सिंह	सकलेनाबाद, गाजीपुर।	सदस्य
9.	श्रीमती रमावती देवी	डॉ0 बृजभानु सिंह बघेल	कोयलाघाट, ददरीघाट, गाजीपुर।	सदस्य

न्यास मण्डल में हमेशा नव न्यासी ही रहेंगे। न्यास मण्डल की संख्या न बढ़ाई जा सकती है न घटाई जा सकती है। किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

क्रमशः 9

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 793028

नामित व्यक्ति ही उसके स्थान पर न्यासी नियुक्त किया जायेगा। यदि किसी न्यासी की बिना उत्तराधिकारी नियुक्त किये ही मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उसके पुत्रों में से न्यास मण्डल किसी एक पुत्र को सदस्य नामित करेगा और वह न्यास मण्डल का सदस्य होगा। यदि इन शर्तों में भी कोई व्यक्ति रिक्ति पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो न्यास मण्डल के न्यासीगण सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर किंसी व्यक्ति को न्यासी नियुक्त कर रिक्ति पूर्ति करेंगे, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि नियुक्त व्यक्ति, स्थान रिक्त करने वाले व्यक्ति के परिवार का ही हो, यदि ऐसा सम्भव न हो तो न्यास मण्डल के सदस्यों में से किसी के परिवार से ही सम्बन्धित हो। नियुक्त व्यक्ति को वे सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगा जो अधिकार पूर्व के न्यासीगण को प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी नामित करता है तो उपनिबन्धक कार्यालय का रजिस्टर्ड वसीयतनामा ही मान्य होगा या न्यास मण्डल के समक्ष स्टैम्प पेपर पर अपना उत्तराधिकारी नामित करें और न्यास मण्डल के पांच सदस्य उस पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये हो। न्यास मण्डल का कोई भी सदस्य अस्वस्थता/अक्षमता होने पर अपने जीवन काल में ही न्यासी नामित कर अपना उत्तराधिकार दे सकता है और इस नामित सदस्य को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो नामित करने वाले व्यक्ति को था।

न्यास मण्डल में अध्यक्ष, प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष तीन पदाधिकारी और छः सदस्य होंगे। अध्यक्ष, प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष का कार्य या किसी पदाधिकारी का कार्य व सदस्यों का कार्य ट्रस्ट के लिए अहितकर होने पर या अनुशासन पूर्ण कार्य न करने पर या ट्रस्ट

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

क्रमशः 10

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 793029

की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर पद से कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यास मण्डल के नौ सदस्यों में बहुमत के आधार पर पांच या इससे अधिक सदस्य जो भी निर्णय लेंगे वह सर्वमान्य होगा और बहुमत से लिये गये निर्णय सभी न्यास मण्डल के सदस्यों को मानना आवश्यक होगा।

न्यास मण्डल को अधिकार होगा कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित शिक्षण संस्थाओं, एन0जी0ओ0 व्यवसायिक कार्यों आदि को सुगमता पूर्वक संचालन हेतु आवश्यक समझे तो न्यास मण्डल प्रबन्ध समिति/संचालन प्रबन्धतंत्र नियुक्त कर सकता है जो स्थापित संस्थाओं के संचालन का कार्य करेगी। एक ही समिति सभी संस्थाओं का प्रबन्ध समिति हो सकती है या न्यास मण्डल कार्यों की अधिकता एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए भिन्न–भिन्न संस्थाओं के लिए भिन्न–भिन्न प्रबन्ध समिति शासन के नियमानुसार नियुक्त कर सकता है। न्यासमण्डल के लोग भी प्रबन्ध समिति में नियुक्त हो सकते हैं।

प्रबन्ध समिति में ग्यारह व्यक्ति रहेंगे।

प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, किन्तु यदि न्यास मण्डल जब भी प्रबन्ध समिति के कार्यों को ट्रस्ट के लिए और संचालित संस्थाओं के लिए अहितकर पायेगा, प्रबन्ध समिति को भंग कर पुनः दूसरी प्रबन्ध समिति गठित कर सकता है। न्यास मण्डल के इस कार्य को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता।

न्यास मण्डल गैर–सरकारी, आर्थिक सहायता अनुदान दान–चन्दा निधि, ऋण आदि प्राप्त कर सकता है। ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं पर न्यास मण्डल का पूर्ण

क्रमशः —11

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 793030

अधिकार एवं नियंत्रण होगा। न्यास मण्डल में पद परिवर्तन या किसी कार्य पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा और वह निर्णय सभी न्यासियों को मानना आवश्यक होगा। ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालयों, महाविद्यालयों या किसी प्रकार की संस्थाओं केन्द्रों के वित्तीय स्रोतों व सम्पत्तियों पर न्यास मण्डल का उस पर अधिकार होगा और वह न्यास की सम्पत्ति मानी जायेगी। न्यास के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति न्यास मण्डल द्वारा की जायेगी और नियुक्ति के समय अध्यक्ष/प्रबन्धक की उपस्थिति आवश्यक होगी। न्यास मण्डल किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को गलत कार्य करने पर या अनुशासनहीन पाये जाने पर या ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर तथा संस्था के हित में कार्य न करने पर जांचोपरान्त उस कर्मचारी का तत्काल निष्कासन कर सकता है। ट्रस्ट से संचालित संस्था की आर्थिक स्थिति खराब होने पर आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारी की छटनी न्यास मण्डल द्वारा की जायेगी। यदि संस्था को बन्द करने की स्थिति आती है तो सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का निष्कासन किया जा सकता है। इस निष्कासन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता।

<u>पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :– संस्था में पदाधिकारियों एवं सदस्यों के निम्नलिखित अधिकार होगा।

प्रबन्ध समिति में अध्यक्ष, प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष ही पदाधिकारी होंगे तथा इनके सहयोग के लिए उपाध्यक्ष, उपप्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष एवं सदस्य न्यास मण्डल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, जिनका कार्य एवं अधिकार निम्नवत् होगा।

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 793961

अध्यक्ष :–

न्यास मण्डल व प्रबन्ध समिति की अध्यक्षता करना और न्यास मण्डल या प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर कभी भी मांग करने पर बैठक बुलाने के लिए प्रबन्धक को निर्देशित करना विशेष परिस्थितियों में तत्काल बैठक बुलाने की कार्यवाही करना तथा बिना न्यास मण्डल/प्रबन्ध समिति के स्वीकृति के एक लाख रूपया खर्च करने का अधिकार होगा, इससे अधिक खर्च के लिए न्यास मण्डल/प्रबन्ध समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी। ट्रस्ट के धन को किस मद में खर्च किया गया, उसकी अगली बैठक जब भी हो स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के संचालन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति में चयनबोर्ड की अध्यक्षता करना एवं योग्य व्यक्ति का चयन करना अधिकार एवं कर्तव्य होगा।

उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं कार्य :–

न्यास मण्डल ट्रस्ट के प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए एवं देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष नियुक्त करेगा।

उपाध्यक्ष के वेतन–भत्ते सुविधाएं आदि न्यास मण्डल द्वारा तय किया जायेगा। उपाध्यक्ष का कार्यकाल न्यास मण्डल के इच्छा पर निर्भर करेगा। न्यास मण्डल किसी भी समय बिना कोई कारण बताये पद से हटा सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर कर्तव्य और अधिकार हस्तान्तरिक कर सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यास मण्डल की स्वीकृति पर सभी अधिकार एवं कार्य उपाध्यक्ष में निहित होगा।

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

क्रमशः–13

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 793962

प्रबन्धक :-

अध्यक्ष की अनुमति से न्यास मण्डल या प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाना और प्रत्येक कार्यवाही को स्वयं प्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही लिखेगा और लिखित कार्यवाही की जिम्मेदारी प्रबन्धक की होगी ट्रस्ट या ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं के आय–व्यय को अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत करना कोषाध्यक्ष से आय–व्यय का लेखा–जोखा इकट्ठा करना, हिसाब लेना एवं और आय–व्यय के कागजातों पर स्वीकृति प्रदान करना प्रबन्धक का अधिकार एवं कर्तव्य होगा।

ट्रस्ट/संस्था में अधिकारियों की नियुक्ति के समय चयनबोर्ड में बैठना एवं योग्य व्यक्ति का चयन करना। यदि प्रबन्धक चयनबोर्ड में भाग नहीं लेता है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति ही चयनबोर्ड में भाग लेगा। अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान करना तथा बिना न्यास मण्डल/प्रबन्ध समिति की पूर्वानुमति के पांच लाख रूपये खर्च करने का अधिकार प्रबन्धक को होगा। जिसका विशेष विवरण अगली कार्यवाही की बैठक में देगा। इससे अधिक खर्च के लिए न्यास मण्डल/प्रबन्ध समिति से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। प्रबन्धक ट्रस्ट से संचालित संस्था में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार निलम्बित, निष्कासित एवं सेवा समाप्त कर सकता है, किन्तु तीन माह के अन्दर न्यास मण्डल/प्रबनध समिति से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। ट्रस्ट तथा ट्रस्ट से संचालित शिक्षण संस्थाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों की पूरी जिम्मेदारी प्रबन्धक की होगी।

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 793963

उपप्रबन्धक की नियुक्ति एवं कार्य :-

ट्रस्ट के प्रत्येक दिन के कार्यों को करने के लिए एवं प्रबन्धक के कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु न्यास मण्डल द्वारा एक उपप्रबन्धक नियुक्त किया जायेगा। जिसका कार्यकाल न्यास मण्डल के इच्छा पर निर्भर होगा। न्यास मण्डल बिना कोई कारण बताये उपप्रबन्धक को हटा सकता है और उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर उसके अधिकार कर्तव्य को हस्तान्तरित कर सकता है।

उपप्रबन्धक के वेतन भत्ते सुविधाएं आदि न्यास मण्डल द्वारा तय किया जायेगा। प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक के उपरोक्त सभी अधिकार उपप्रबन्धक में निर्गत होगा। किन्तु न्यास मण्डल से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही प्रबन्धक के अनुपस्थिति में उपप्रबन्धक कार्य करेगा। उपप्रबन्धक का कार्य प्रबन्धक के कार्यों में सहयोग करना आवश्यक कागजातों को तैयार करना, वार्षिक आय–व्यय के साथ ही प्रतिदिन प्रबन्धक के इच्छानुसार कार्यों को करनो और संचालित संस्थाओं का देखभाल करना आदि।

कोषाध्यक्ष :-

ट्रस्ट या ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं का कोष किसी भी बैंक या डाकघर में रखा जा सकता है। बैंक या डाकघर में खाता खोलने का कार्य एवं संचालन का कार्य कोषाध्यक्ष, प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ट्रस्ट के आय–व्यय तथा संचालित संस्थाओं का आय–व्यय का हिसाब तैयार करना कोषाध्यक्ष का कार्य होगा।

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 793964

उपकोषाध्यक्ष :–

ट्रस्ट के प्रत्येक दिन के आय–व्यय के कार्य को करने के लिए न्यास मण्डल द्वारा एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा, जिसका कार्यकाल न्यास मण्डल के इच्छा पर निर्भर होगा। उपकोषाध्यक्ष आय–व्यय के कार्यों में कोषाध्यक्ष का सहयोग करेगें तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के आय–व्यय के हिसाब को तैयार करने में कोषाध्यक्ष के सहयोगी होंगे और कोषाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्य करेंगे। उपकोषाध्यक्ष के वेतन भत्ता सुविधाएं आदि न्यास मण्डल द्वारा तय किया जायेगा।

बैंक एकाउन्ट :–

ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। ट्रस्ट या ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं का खाता पृथक–पृथक नाम से संचालित किया जा सकता है, किन्तु खाता खोलने से पूर्व न्यास मण्डल/प्रबन्ध समिति से स्वीकृति लेना आवश्यक है। खातों का संचालन प्रबन्धक कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। प्रबन्धक कार्य की सुगमता के लिए स्वयं किसी भी खाता का संचालन कर सकता है। प्रबन्धक के हस्ताक्षर से ट्रस्ट/ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के खातों का संचालन किया जा सकता है।

आडिट :–

ट्रस्ट या ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था का लेखा–जोखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वर्ष के समाप्त होते ही किसी भी आडिटर या चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 793965

अभिलेख :-

ट्रस्ट या ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं के सभी प्रकार का अभिलेख प्रबन्धक के पास रखा जायेगा, जिन्हें आवश्यकतानुसार वे प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही अभिलेखों के लिखने का कार्य प्रबन्धक स्वयं करेंगे या प्रबन्धक द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा, जिस पर प्रबन्धक का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।

विधिक कार्यवाही :-

यदि ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या इसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो इस कार्य के लिए प्रबन्धक अधिकृत किये जाते हैं, वे अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों से सम्पर्क स्वयं करेंगे या किसी व्यक्ति को स्वयं नामित करेंगे, जो विधिक कार्यवाही का पैरवी करेगा, इसके लिए प्रबन्धक जिम्मेदार होंगे।

सम्पत्ति :-

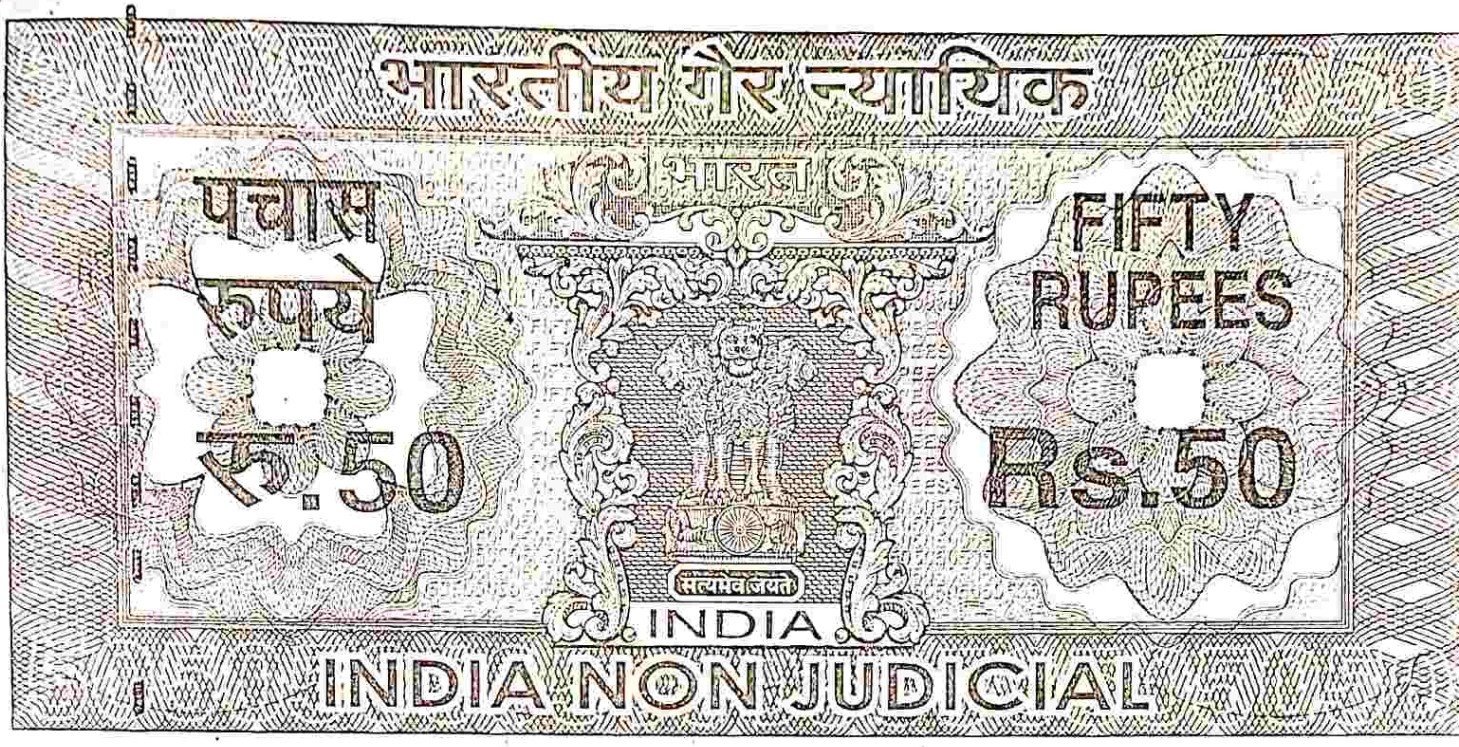
ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त है।

ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने, लेख–विलेख बनाने हेतु प्रबन्धक अधिकृत है। प्रबन्धक चल/अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय कर सकता है। किराये पर लेना, किराये पर देना, बन्धक रखना आदि कार्य करेंगे।

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

क्रमशः 17

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 793966

ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, भेट, अनुदान, निधि, सम्मान पुरस्कार स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे भी सकता है। ट्रस्ट के धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूत–भाड़ा, क्रय–विक्रय आदि का कार्य प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

ट्रस्ट के तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की सम्पत्ति का प्रतिदिन के देखरेख का कार्य प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा और सम्पत्ति के सभी कागजात प्रबन्धक के पास होगा और चल–अचल सम्पत्ति पर प्रबन्धक का अधिकार होगा। ट्रस्ट या ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं की सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति मानी जायेगी। इसके देख–भाल का कार्य प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा। ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न करने से पूर्व प्रबन्धक को न्यास मण्डल से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

ट्रस्ट के नियमों में संशोधन :-

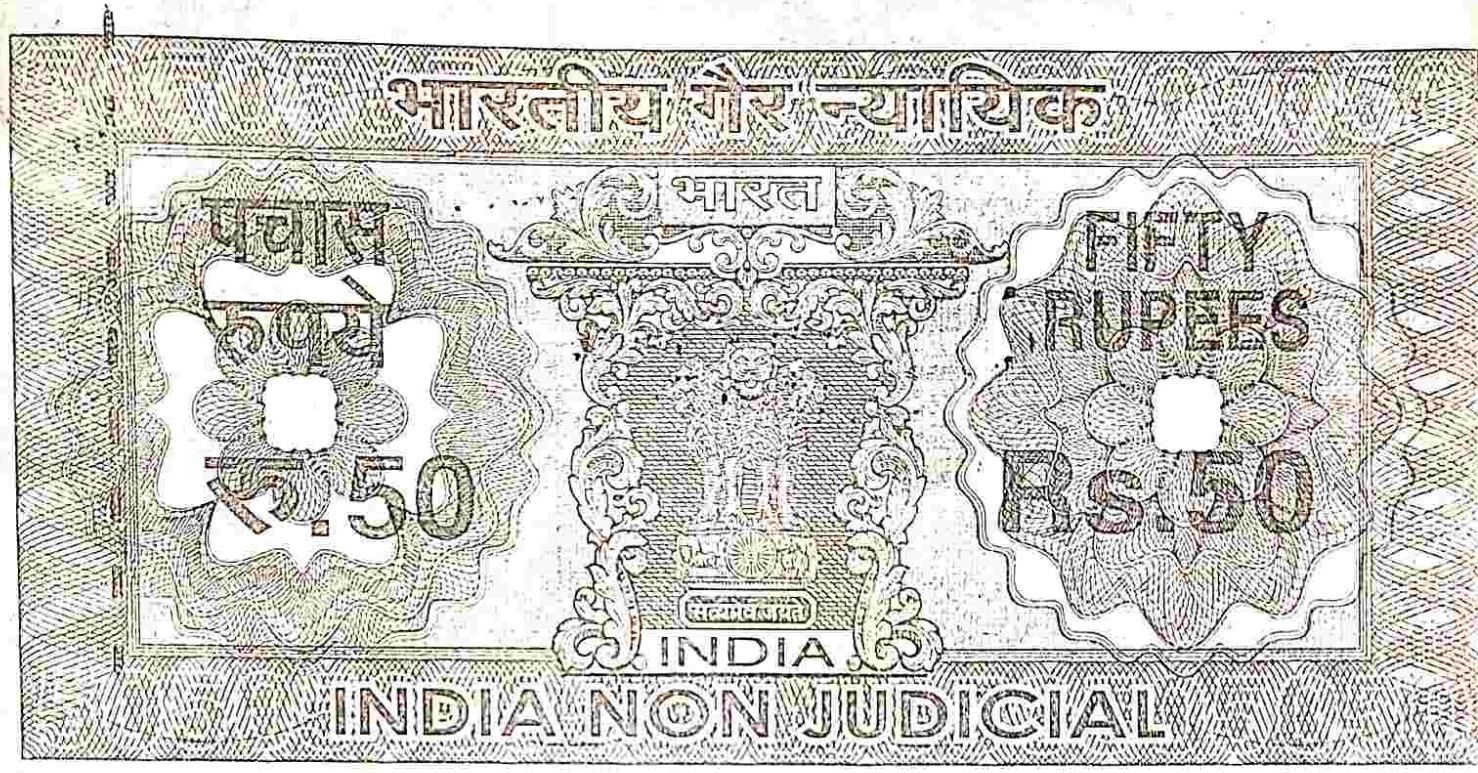
ट्रस्ट के नियमों में संशोधन न्यास मण्डल आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय महाविद्यालय तकनीकी, औद्योगिक, प्राद्योगिकी आदि संस्थाओं को संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकता है। किन्तु वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट राम सुमेरी ललिता ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 793967

मैं डॉ0 बृजभानु सिंह बघेल, प्रबन्धक, राम सुमेरी ललिता ट्रस्ट सत्यापित एवं उद्घोषित करता हूँ कि उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित उद्देश्य एवं नियमावली तथा वर्णित धनराशि 11,000/– रू0 मात्र एतद्द्वारा अधिनियमित अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल प्रभाव से कार्यान्वियत की जाती है।

उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

दिनांक : 26–06–2009

मसविदाकर्ता ...

टाइपकर्ता : सोमनाथ जायसवाल

ह0 गवाह –

अनिल कुमार सिंह S/o
श्री कैलाश सिंह
विवेकानन्द कालोनी
गाजीपुर

ह0 गवाह –

शशिकान्त उपाध्याय S/o स्व0 केशव उप
ग्राम – बरियार
पो0 – महेडार
जि0 – गाजीपुर

Manager
Prabhunarayan Singh Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal
P.S.Public School
Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

आज दिनांक **26/06/2009** को

वही सं **4** जिल्द सं **27**

पृष्ठ सं. **114** से **132** पर क्रमांक **19**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.के.सिंह

उप निबन्धक सदर

गाजीपुर

26/6/2009

Manager

Prabhunarayan Singh Public School

Jamapur, Kasimabad-Ghazipur

Principal

P.S.Public School

Jamapur, Kasimabad-Ghazipur